बिहार सरकार

अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय

(योजना एव विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–18/2015 302 पटना, दिनाक: 07.09.18

कार्यालय आदेश

मो०अनवार अहमद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मोकामा–सह–प्रभारी धान अधिप्राप्ति केन्द्र मोकामा, पटना संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्राक 1029/आपूर्ति, दिनांक–27.05.2015 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 मे किसानो/पैक्सो से खरीद किये गये धान की क्षति/गबन से संबंधित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०स०–180 सहपठित ज्ञापाक–913 दिनांक 15.07.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही मे अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला साख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. मो०अनवार अहमद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एव जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना के मतव्य के समीक्षोपरान्त सचालन पदाधिकारी –सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना के पत्राक 52 दिनाक–23.03.2017 द्वारा निम्न जाँच प्रतिवेदन दिया गया है.–

आरोपी पर निर्गत भडार निर्गमादेश के विक्रय राईस मिलरो को कुल 1000.00 क्विंटल धान की आपूर्ति करने तथा अवशेष 571.40 क्विंटल धान को क्षतिग्रस्त करा दिए जाने का आरोप है।

आरोपी का कहना है कि धान का क्रय मूल्य वर्ष 2012–13 में 1304.40 रूपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया था। गोदाम मे कम पाया गया धान मात्र 15 क्विंटल था, जिसका तत्कालिक मूल्य–15666.00 रू० हुआ। जो वस्तुत: धान में व्याप्त नमी के कारण सुखवन चला गया होगा, जबकि आर्द्रता मापी यत्र केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराया गया था।

आरोपी का यह भी कहना है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वृहत पैमाने पर भंडारण नियमावली के अन्तर्गत कृषि वर्ष 2011–12 एवं कृषि वर्ष 2012–13 यथा दो (2) वर्ष में कुल 30 क्विंटल 80 किलोग्राम मात्रा की कमी का हवाला एवं नमी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए छूट देने का वस्तुत प्रावधान है।

आरोपी का यह भी कहना है कि राज्य खाद्य निगम, पटना के कार्यालय मे बिना अभिलेख सधारित किये, उसका अवलोकन किये बिना तथा बिना अकेक्षण के निराधार आरोप लगा दिया जाता है।

आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है, क्योंकि सलग्न साक्ष्य आरोपी से स्पष्टीकरण एव राज्य खाद्य निगम के प्रतिवेदन आदि के परिशीलन एव परीक्षण से यह स्पष्ट है कि धान क्रय केन्द्र के प्रभारी के रूप मे अपने दायित्वो के निर्वहन मे आरोपी द्वारा लापरवाही एव शिथिलता बरती गई है, जिस

03487 स्था०1 (28 अगस्त 2018) मो० अनवार अहमद

कारणवश धान क्षतिग्रस्त हो गया और सरकारी राजस्व की क्षति हुई। इसके लिए आरोपी दोषी प्रतीत होते है।

आरोपी पर प्रपत्र 'क' मे गठित आरोप प्रमाणित होता है।"

3 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियत्रण एवं अपील)नियमावली, 2005 के नियम 18(3) मे किए गए प्रावधान के आलोक में सचालन प्रतिवेदन पर मो० अनवार अहमद से प्राप्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा निम्न बातो का उल्लेख किया गया है –

श्री अजय कुमार सिह, तत्कालीन जिला प्रबधक द्वारा सुरक्षित धान को औने–पौने कीमत Throw away Price पर M/S Aroma Agro Industries को निलाम कर दे दिया गया। मुझसे न पूछा गया और न ही मुझसे कोई सहमति/मतव्य प्राप्त किया गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सतत् उनके द्वारा स्मारित कराया गया कि उनका स्थानांतरण हो चुका है और 571.40 क्विटल भंडारित धान मिलर द्वारा उठवा लिया जाय, परन्तु धान का उठाव नहीं किया गया । इससे पूर्व में भी दिनाक–11 08.2013 को प्रखड विकास पदाधिकारी, मोकामा तथा दिनांक–10.09.2013 एवं दिनाक –29.10.2013 को उनके द्वारा जिला प्रबधक को उठाव करने हेतु लिखा गया परन्तु तत्कालिक कोई कार्रवाई नही की गयी। इसके साथ ही उनके द्वारा अपने अभ्यावेदन मे यह भी उल्लेख किया गया है कि कृषि वर्ष 2011–12 एव 2012–13 में उनके द्वारा पैक्सों से बोरा खरीद करने एवं श्रमिकों को हथालन मजदूरी के रूप मे भुगतान की गयी राशि का बकाया विभाग पर है। लेकिन इससे सबधित कोई साक्ष्य मो० अहमद द्वारा अभ्यावेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4 उनके द्वारा समर्पित उक्त अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को दिया गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिया गया था, जिसके समीक्षोपरान्त सचालन पदाधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है । उक्त से स्पष्ट है कि मो०अहमद द्वारा सही तथ्य प्रस्तुत न कर मामले को उलझाने का प्रयास किया गया है। मो०अनवार अहमद के अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि धान क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप मे अपने दायित्वो का इनके द्वारा सम्यक रूप से निर्वहन नही किया गया जिसके चलते सरकार को कुल 4,35,218.16 (चार लाख पैंतीस हजार दो सौ अठारह रूपये सोलह पैसे) रूपये की सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग हुआ । अपने को निर्दोष साबित करने मे ये विफल रहे हैं। इस प्रकार इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।

5. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मो०अनवार अहमद द्वारा जान बूझकर निजी लाभ के लिए 571.40 क्विटल धान क्षतिग्रस्त करा दिया गया और सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई । क्षतिग्रस्त धान का निष्पादन निलामी के माध्यम से किया गया जिससे सरकार को 4,35,218 16 रूपये (चार लाख पैतीस हजार दो सौ अठारह रूपये सोलह पैसे) राजस्व की हानि हुई । इसके लिए मो० अनवार अहमद, प्रभारी धान क्रय केन्द्र, मोकामा जबावदेह प्रतीत होते हैं।

6 उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपो के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो० अनवार अहमद पर उनके पेशन से 20 % (बीस प्रतिशत) की कटौती प्रतिमाह अगले छ वर्षो तक करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो०अनवार अहमद, तत्कालीन प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मोकामा--सह–प्रभारी धान अधिप्राप्ति केन्द्र मोकामा, पटना संप्रति सेवानिवृत पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) मे किये गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन से 20 % (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती प्रतिमाह अगले छ वर्षो तक करने का दण्ड अधिरोपित एव संसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय मत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः–स्था०1/आ०2–18/2015 1810 पटना, दिनांक :– 07.09.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्राक 1029/आपूर्ति, दिनाक–27 05.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रखड विकास पदाधिकारी, मोकामा प्रखंड, पटना /तेघड़ा प्रखंड, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. मो०अनवार अहमद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, संप्रति सेवानिवृत, द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना एवं जिला साख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को सूचनार्थ एव इसका तामिला कराने हेतु प्रेषित।

07/09

निदेशक